

कर-भिन्न राजस्व ब्याज प्राप्ति

इस भाग में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज प्राप्ति को शामिल किया गया है। मुख्य शीर्षों के अनुसार इसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(क) ब्याज प्राप्ति (वार्षिक वित्तीय विवरणानुसार)	35792.68	28440.00	21999.50
घटाए अन्य प्राप्ति*	16657.55	9403.51	3000.00
निवल ब्याज प्राप्ति	19135.13	19036.49	18999.50

ब्याज प्राप्ति

निम्न को दिए गए ऋणों पर ब्याज

(क) राज्य	11712.86	11849.30	11548.80
(ख) संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल युक्त)	100.11	94.39	94.39
(ग) रेलवे द्वारा देय ब्याज	4635.88	4710.96	5304.22
(घ) अन्य ब्याज प्राप्ति	2686.28	2381.84	2052.09
जोड़	19135.13	19036.49	18999.50

* यह बाजार उधारों के सम्बन्ध में प्राप्ति आनुषंगिक को प्रदर्शित करता है जिसे उधार लागत को घटाकर, ब्याज माफी आदि की एवज में लिया गया है।

क. ब्याज प्राप्ति

(क) राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज

ब्याज प्राप्ति संशोधित अनुमान 2008-09 में 11849.30 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2009-10 में 11548.80 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

बारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय (2005-06 से 2009-10) के अनुसार जिसके अन्तर्गत (i) दिनांक 31.3.2004 तक संविदा किए गए सभी केन्द्रीय ऋणों तथा दिनांक 31.3.2005 तक बकाया ऋणों को 7.5 प्रतिशत की दर पर 20 वर्षों हेतु नए सिरे से इस शर्त पर पुनर्निर्धारित किए जाने की अपेक्षा है कि सम्बद्ध राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित करेगी और (ii) नए ऋण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण को छोड़कर, सीधे ही उगाहे जाएंगे। अब तक, छब्बीस राज्यों ने ऐसा विधान पारित कर दिया है जिसमें से 25 राज्यों के ऋणों का समेकन किया गया है।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज

ब्याज प्राप्ति संशोधित अनुमान 2008-2009 में 94.39 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2009-2010 में 94.39 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) रेलवे द्वारा देय ब्याज

वर्ष 2009-2010 के सम्बन्ध में लाभांश दर संबंधी ज्ञापन रेलवे अभिसमय समिति (आरसीसी) के विचाराधीन है। इस प्रकार, आरसीसी की सिफारिशों के लम्बित रहते, वर्ष 2009-10 के अनुमानों को वर्ष 2008-09 के लिए अपनायी गयी व्यवस्थाओं के आधार पर तैयार किया गया है। ये व्यवस्थाएं निम्नानुसार हैं:

(i) रिहायशी इमारतों की पूंजीगत लागत को छोड़कर, जिन पर 3.5 प्रतिशत की दर से लाभांश दिया जाता है, रेलवे की तरफ से लाभांश वाली समस्त

पूँजी पर 7 प्रतिशत लाभांश की अदायगी की जाती है चाहे निवेश किसी भी वर्ष में किया गया हो (राज्यों को यात्री किराया कर के बदले भुगतान हेतु, दिनांक 31.3.1964 तक निवेश की गई पूँजी पर आर्थिक सहायता घटाकर, लाभांश युक्त पूँजी पर 1.5 प्रतिशत सहित)।

(ii) नीचे बताई गई पूँजी के संबंध में रेलवे द्वारा लाभांश की अदायगी नहीं की जाती :-

- (1) अलाभकारी ब्रांच लाइनें - पूँजी पर लाभांश की अदायगी से ब्रांच लाइन विशेष को छूट इस लाइन की लाभकारिता की वार्षिक समीक्षा के आधार पर दी जाती है जिसमें लाभप्रदता निर्धारण "सीमान्तिक लागत" सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है।
- (2) नौकाओं, कल्याण कार्यों से संबंधित इमारतों, (अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य एकक, क्लब, संस्थान, स्कूल तथा कालेज, होस्टल तथा अन्य कल्याण केन्द्र) और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का असामरिक भाग।
- (3) अयस्क लाइनें (किरिबुरु-बिमलागढ़ तथा संबलपुर-टिटलागढ़ लाइनें, जिन पर अयस्क की दुलाई के लिए भाड़े की रियायती दरें उपलब्ध कराई जाती हैं) बशर्ते कि वे लाभकारी नहीं हैं, लाभप्रदता, "सीमान्तिक लागत" के आधार पर सिद्धान्त को अपनाते हुए निर्धारित की जाती है।
- (4) "वित्तीय भिन्न" आधार पर पहली अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद शुरू की गई 28 "नई लाइनें" जिनमें "सीमान्तिक लागत" के सिद्धान्त अपनाने वाली वे लाइनें शामिल नहीं हैं जिनसे वर्ष के दौरान लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया था; यह प्रबंध जम्मू-कटुआ तथा तिरुनेलवेली-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाइनों पर भी लागू होता है जिनको "राष्ट्रीय निवेश" के नाम से जाना जाता है।
- (5) उपर्युक्त "नई लाइनों" को छोड़कर अन्य "नई लाइनों" में निवेशित पूँजी पर लाभांश, निर्माण की अवधि के दौरान तथा उनके खुलने के बाद पहले पांच वर्षों के लिए आस्थगित किया जाता है। आस्थगित लाभांश छठे वर्ष से वसूल किया जा सकता है, बशर्ते कि नई लाइनों की निवल आय में चालू लाभांश की अदायगी के बाद कुछ अधिशेष रहे। इन लाइनों पर अनकदीकृत आस्थगित लाभांश का खाता उनके खुलने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के बाद आस्थगित लाभांश के लिए किसी देयता को समाप्त करते हुए जिसे उस अवधि में समाप्त नहीं किया गया, बन्द कर दिया जाता है।

(6) गेज परिवर्तन का कार्य सामरिक महत्व के आधार पर किया जाता है।

- (iii) चालू पूँजीगत निर्माण कार्यों पर एक वर्ष में होने वाले पूँजी परिव्यय के 50 प्रतिशत भाग को (जिस पर अन्यथा लाभांश देय होता हो) तीन वर्ष की अवधि के लिए लाभांश की अदायगी से छूट दी गई है।
- (iv) उपर्युक्त लाभांश छूटें रेलवे को सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। सं.अ. 2005-06 तक सामरिक महत्व की लाइनों से संबंधित कार्यों पर होने वाली हानि को देय लाभांश से घटाया जाता था। तथापि, 2006-07 सं.अ. से आर्थिक कार्य विभाग की मांग के तहत प्रावधान द्वारा इन हानियों की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
- (v) ऐसे वर्षों में जब रेलवे का निवल राजस्व चालू लाभांश देनदारियों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता, चालू लाभांश की अदायगी की कमी को आस्थगित लाभांश देनदारी माना जाता है (जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता)। इस राशि की अदायगी रेलवे द्वारा आने वाले वर्षों में अधिशेष से की जानी है।

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर 2008-2009 के संशोधित अनुमान तथा 2009-2010 के बजट अनुमानों हेतु रेलवे द्वारा देय लाभांश के अनुमान निम्नानुसार हैं :-

	बजट 2008-2009	संशोधित 2008-09	(करोड़ रुपए) बजट 2009-10
(i) लगी पूँजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता को घटाकर)	2405.07	2306.67	2654.67
(ii) सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता*	2207.69	2381.17	2626.43
(iii) रेल यात्री किराए पर कर के एवज में रेलवे द्वारा अदायगी	23.12	23.12	23.12
रेलवे द्वारा देय कुल लाभांश जिसे ब्याज के रूप में लिया गया है	4635.88	4710.96	5304.22

* इसमें बजट 2008-09, संशोधित 2008-09 और बजट 2009-10 में क्रमशः 500 करोड़ रुपए, 646 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए की सीमा तक सामरिक लाइनों की प्रचालनात्मक क्षतियों की प्रतिपूर्ति शामिल है।

वर्ष 1964-65 से पहले की पूँजी पर रेलवे द्वारा दिए जाने वाले 1.5 प्रतिशत के लाभांश में से 23.12 करोड़ रुपए की रकम रेलवे द्वारा प्रदत्त अंशदान जो निरस्त रेलवे यात्री किराया कर के एवज में राज्यों को अनुदान के रूप में दी जाती है तथा शेष राशि जो अब तक रेल सुरक्षा कार्यों सम्बन्धी निधि को अंशदान में दी जाती थी वर्ष 2001-2002 की अवधि से है तथा जिसे रेलवे द्वारा सीधे वित्त मंत्रालय तथा आरसीसी (1999) के अनुमोदन से नवसृजित "रेलवे सुरक्षा कार्य निधि" में जमा कर दिया जाएगा।

(घ) अन्य ब्याज प्राप्तियां :

"अन्य ब्याज प्राप्तियां" के अन्तर्गत लगाए गए अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गए ऋणों पर ब्याज और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पूँजीगत परिव्यय के सम्बन्ध में है।

लाभांश और लाभ

ख. लाभांश और लाभ:

इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश और लाभ को शामिल किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष को भी शामिल किया गया है जिसे सरकार को अन्तरित किया जाता है।

	बजट 2008-2009	संशोधित 2008-09	(करोड़ रुपए) बजट 2009-10
ब्यौरा निम्नानुसार है :			
(i) सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	24758.33	21640.69	19340.17
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	18445.40	18095.25	17645.14
जोड़	43203.73	39735.94	36985.31

अन्य कर-भिन्न राजस्व

ग. अन्य कर-भिन्न राजस्व:

अन्य कर-भिन्न राजस्व का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. राजकोषीय सेवाएं	121.40	138.13	148.37
2. अन्य सामान्य सेवाएं	17937.65	19820.20	20992.52
3. सामाजिक सेवाएं	592.99	578.38	607.90
4. आर्थिक सेवाएं	34424.44	36659.50	54639.20
5. सहायता अनुदान और अंशदान	1795.33	2748.01	2136.20
जोड़	54871.81	59944.22	78524.19
घटाइए-			
वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां	16647.23	16069.44	17800.96
अन्य प्राप्तियां*	5593.29	7192.85	5507.65
जोड़	22240.52	23262.29	23308.61
निवल-अन्य कर-भिन्न राजस्व	32631.29	36681.93	55215.58

* क्षेत्रक/उप क्षेत्र-वार अन्य प्राप्तियों तथा वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है-

अन्य सामान्य सेवाएं	11986.36	13016.94	13707.65
आर्थिक सेवाएं	10254.16	10245.35	9600.96
जोड़	22240.52	23262.29	23308.61

उपरोक्त वाणिज्यिक विभागों से होने वाली प्राप्तियों को व्यय में से घटाकर प्रस्तुत किया गया है और इन्हें व्यय बजट में दिखाया गया है।

राजकोषीय सेवाएं

अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राजकोषीय सेवाएं	121.40	138.13	148.37
निवल प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं :-			
(क) करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल:			
(i) सिक्कों के परिचालन से लाभ	67.43	67.43	67.43
(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं	53.97	70.70	80.94
जोड़ राजकोषीय सेवाएं	121.40	138.13	148.37

(क) करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल:- सिक्कों के परिचालन से लाभ, सिक्कों के अंकित मूल्य और प्रभारित लागत के बीच के अन्तर का द्योतक है।

(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं :- ये प्राप्तियां मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ई. एफ. एफ. प्रभारों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंशदान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त पारिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के लिए वसूल किए गए जुर्माने आदि से संबंधित है।

2. अन्य सामान्य सेवाएं

अनुमान इस प्रकार हैं :-

अन्य सामान्य सेवाएं	17937.65	19820.20	20992.52
घटाइए-वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां	6393.07	6780.00	8200.00
अन्य प्राप्तियां	5593.29	6236.94	5507.65
निवल	5951.29	6803.26	7284.87

वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां रक्षा सेवाएं कैंटीन स्टोर विभाग से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्यिक विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

	बजट 2008-2009	संशोधित 2008-09	(करोड़ रुपए) बजट 2009-10
निवल प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं :-			
(i) प्रशासनिक सेवाएं			
लोक सेवा आयोग	11.50	12.50	12.50
पुलिस	1594.20	1750.80	1900.40
पूर्ति और निपटान	53.00	65.50	62.11
लेखन-सामग्री और मुद्रण	16.00	19.00	19.75
लोक निर्माण कार्य	118.05	167.05	161.05
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2466.39	2365.09	2491.41
(ii) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	831.88	1374.20	1488.85
(iii) विविध सामान्य सेवाएं	860.27	1049.12	1148.80
जोड़	5951.29	6803.26	7284.87

"लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं की फीस आदि को दर्शाती है।

"पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पार्टियों को भेजे गए केन्द्रीय पुलिस बलों से संबंधित हैं। इन प्राप्तिओं में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।

"पूर्ति और निपटान" के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतया भंडारों के क्रय और निरीक्षण के लिए फीस; तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से फालतू और पुराने सामान की बिक्री से संबंधित हैं।

"लेखन सामग्री और मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तिओं का सम्बन्ध सरकारी मुद्रणालयों, लेखन सामग्री, सरकारी राजपत्रों और सरकारी प्रकाशनों आदि की बिक्री से है।

"लोक निर्माण कार्य" के अंतर्गत सरकारी रिहायशी इमारतों के किराए से भिन्न केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संबंधी सभी प्राप्तिओं को शामिल किया गया है।

"अन्य प्रशासनिक सेवाएं" शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तिओं का संबंध मुख्यतः लेखापरीक्षा फीस, पासपोर्ट तथा वीजा फीस आदि से है।

"विविध सामान्य सेवाएं" शीर्ष डाक प्रमाण पत्रों/बाजार ऋणों के संबंध में दावा न किए गए शेर्षों, बट्टे खाते डाला गया राजस्व, गारंटी शुल्कों आदि से प्राप्तिओं से संबंधित हैं।

3. सामाजिक सेवाएं

अनुमानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

सामाजिक सेवाएं	592.99	578.38	607.90
वाणिज्यिक विभागों के अलावा प्राप्तिओं के अनुमानों में निम्नलिखित शामिल हैं:			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	75.27	85.12	91.13
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	119.38	107.37	107.38
परिवार कल्याण	45.20	26.70	29.70
आवास	142.79	111.07	116.51
सूचना और प्रचार	202.15	239.34	254.34
श्रम और रोजगार	7.65	8.22	8.22
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.55	0.56	0.62
जोड़	592.99	578.38	607.90

"शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति" के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः शिक्षण तथा अन्य शुल्कों तथा संग्रहालयों और प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से होने वाली आमदनी से संबंधित होती हैं।

"चिकित्सा" प्राप्तिओं में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए अंशदान, अस्पतालों तथा औषधालय सेवाओं इत्यादि के लिए रोगियों से प्राप्त प्रभार शामिल हैं। "सार्वजनिक स्वास्थ्य" प्राप्तिओं में सीरम और वैक्सीन आदि की बिक्री से आय शामिल हैं।

"परिवार कल्याण" की प्राप्तियां मुख्यतः सामग्री तथा आपूर्ति की बिक्री आय से संबंधित हैं।

"आवास" प्राप्तिओं में मुख्यतः सरकारी रिहायशी इमारतों की लाइसेंस फीस शामिल है।

"सूचना और प्रचार" प्राप्तिओं में विज्ञापन और दृश्य प्रचार से प्रभार, प्रकाशनों की बिक्री तथा चलचित्रों के किराये शामिल हैं।

"श्रम तथा रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, फैक्टरी तथा खान अधिनियम आदि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले शुल्कों से संबंधित हैं।

"सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अंतर्गत प्रदर्शित प्राप्तियां मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना से संबंधित हैं।

4. आर्थिक सेवाएं

अनुमान इस प्रकार हैं :-

आर्थिक सेवाएं	34424.44	36659.50	54639.20
घटाइए-वाणिज्यिक विभाग और अन्य प्राप्तियां	10254.16	10245.35	9600.96
निवल	24170.28	26414.15	45038.24

वाणिज्यिक विभागों से प्राप्ति के अनुमानों और अन्य प्राप्तिओं के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :-

	बजट 2008-2009	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10 (करोड़ रुपए)
कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप :			
दिल्ली दुग्ध योजना	311.54	289.01	377.22
क्षेत्र में अन्य प्राप्ति	...	117.12	...
उद्योग और खनिज :			
अफीम और एल्कलॉयड के कारखाने	300.52	311.14	300.97
ईंधन निर्माण सुविधाएं	922.75	734.85	1041.00
क्षेत्र में अन्य प्राप्ति	...	838.79	...
जोड़	1223.27	1884.78	1341.97
ऊर्जा:			
बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	320.76	320.76	304.73
ईंधन माल-सूची	1556.10	948.82	1301.30
गुरु जल पूल प्रबन्ध	568.18	583.64	...
जोड़	2445.04	1853.22	1606.03
परिवहन :			
दीपस्तम्भ और दीपपोत	115.00	135.00	140.00
संचार :			
डाक सेवाएं	6159.31	5966.22	6135.74
जोड़-वाणिज्यिक विभाग	10254.16	10245.35	9600.96

इन वाणिज्यिक विभागों की प्राप्ति का व्यय को घटाकर दिखाई गई हैं और इन्हें व्यय बजट में दिखाया गया है।

निम्नलिखित प्राप्ति के अनुमानों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	176.75	173.60	172.08
(ii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	12.80	12.70	12.70
(iii) ऊर्जा	6798.66	9442.30	8017.64
(iv) उद्योग और खनिज	203.17	181.28	183.64
(v) परिवहन	183.27	205.17	209.80
(vi) संचार	13953.44	13174.29	33335.33
(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	307.25	1145.58	1009.11
(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	2534.94	2029.23	2098.32
जोड़	24170.28	26414.15	45038.24

प्रत्येक उप-क्षेत्र के अन्तर्गत खाते के मुख्य शीर्षों के अनुसार इन प्राप्ति अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप:			
फसल कार्य	134.71	134.80	132.70
पशुपालन	11.45	11.80	12.30
मत्स्य पालन	2.75	2.50	2.50
वानिकी और वन्य जीवन	7.00	7.00	7.00
खाद्य-भंडारण और भांडागारण	8.84	5.50	5.58
अन्य कृषि कार्यक्रम	12.00	12.00	12.00
जोड़	176.75	173.60	172.08

इस उप-क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाएं, कृषि शिक्षा से प्राप्त शुल्क, गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी शुल्क, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण आदि शामिल हैं। विदेशों और संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री से प्राप्त राशियों को इसके अन्तर्गत दिखाया गया है।

(ii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण:

वृहत् और मध्यम सिंचाई	12.00	12.00	12.00
लघु सिंचाई	0.80	0.70	0.70
जोड़	12.80	12.70	12.70

"वृहत् और मध्यम सिंचाई" शीर्ष के अन्तर्गत अनुमान केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्ति को दर्शाते हैं। "लघु सिंचाई" के अन्तर्गत अनुमान राज्य सरकारों आदि के लिए भूजल अन्वेषण के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूजल जल बोर्ड की प्राप्ति से संबंधित है।

	बजट 2008-2009	संशोधित 2008-09	(करोड़ रुपए) बजट 2009-10
(iii) ऊर्जा			
विद्युत	17.90	60.86	681.63
पेट्रोलियम	6777.04	9423.23	7333.76
कोयला और लिग्नाइट	3.50	8.03	2.03
गैस-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	0.22	0.18	0.22
जोड़	6798.66	9492.30	8017.64

"विद्युत" शीर्ष के अन्तर्गत विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम आदि के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्ति आती है।

"पेट्रोलियम" शीर्ष के अन्तर्गत अनुमानों में कच्चे तेल और अपतटीय उत्पादित गैस पर प्राप्त रायल्टी से प्राप्ति, पेट्रोलियम लाभ तथा किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस के अन्वेषण के अनन्य अधिकार से संबद्ध लाइसेंस शुल्क शामिल है।

(क) **रायल्टी** : (i) अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादित तेल और गैस पर केन्द्रीय सरकार को रायल्टी का हक है जबकि तटीय (आन शोर) क्षेत्रों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को देय होती है। तेल वाले क्षेत्रों के विनियमन के अधिकार तथा विकास संबंधी जिम्मेदारी केवल केन्द्र सरकार की ही होती है। इस संबंध में तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 का प्रयोग किया जाता है। (ii) राष्ट्रीय तेल कंपनियों के निर्दिष्ट क्षेत्रों में तेल तथा गैस उत्पादन से संबंधित रायल्टी प्रणाली उत्पादन भागीदारी संविदाओं के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्रों के उत्पादन से संबंधित रायल्टी से भिन्न होती है (iii) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी यथामूल्य आधार पर देय होती है जो उस कीमत पर निर्भर होती है जिस पर उनके द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस बेचे जाते हैं। प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण नियंत्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली (एपीएम) के अधीन शासित होता है जिसे 2005-06 से ऊर्ध्वगामी संशोधित कर दिया गया है जिससे रायल्टी की प्राप्ति पर भी प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, जो काफी परिवर्तनशील होती हैं, से तेल की प्राप्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। (iv) पीएससी के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्रों में होने वाले उत्पादन पर रायल्टी को संबंधित पीएससी के प्रावधानों द्वारा प्रशासित किया जाता है तथा प्राप्ति इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करती है।

(ख) **पेट्रोलियम लाभ** : पेट्रोलियम लाभ का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्पादित पेट्रोल का मूल्य जिसमें से संविदा के अनुसार उत्पादन की स्वीकार्य लागत को घटा दिया जाता है। संबंधित करार/संविदा के अनुसार संविदाकार तथा सरकार द्वारा पेट्रोलियम लाभ को बांट लिया जाता है। नो-प्रोफिट पेट्रोलियम निर्दिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा किए उत्पादन पर देय होता है। पेट्रोलियम लाभ कच्चे तेल तथा गैस के प्रचलित मूल्य के अनुसार अलग-अलग होता है। महानिदेशक हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) इन पीएससी के कार्यान्वयन की मानिट्रिंग करता है। पेट्रोलियम लाभ की अदायगी वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने वाले अंतिम समायोजन से त्रैमासिक आधार पर देय होता है।

(ग) **पेट्रोलियम खोज लाइसेंस (पीईएल) शुल्क** : (i) पीईएल शुल्क लाइसेंस धारक द्वारा किया जाने वाला भुगतान है जो विशिष्ट क्षेत्रों में तेल एवं गैस की विशिष्ट खोज करने के लिए लाइसेंस धारक को सरकार द्वारा अधिकार प्रदान करने के संदर्भ में किया जाता है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः लाइसेंस की अवधि से जुड़ा होता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के अनुसार लाइसेंस धारक द्वारा देय होता है। (ii) पीईएल शुल्क तटीय मामलों में संबंधित राज्य सरकार को तथा अपतटीय क्षेत्रों के मामले में केन्द्र सरकार को अदा किया जाता है।

(iv) उद्योग और खनिज			
ग्राम और लघु उद्योग	30.20	25.37	26.72
उद्योग	149.76	134.71	135.34
अलौह खनन और धातुकर्म			
उद्योग	23.21	21.20	21.20
जोड़	203.17	181.28	183.26

"ग्राम और लघु उद्योग" शीर्ष के अन्तर्गत औद्योगिक सम्पदा, लघु उद्योग, हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम कीटपालन, बिजली करघा और अन्य ग्रामोद्योगों से होने वाली प्राप्ति दर्ज की जाती गई है।

"उद्योग" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्क से संबंधित हैं।

"अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग" शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यतः भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों से होने वाली प्राप्ति शामिल की जाती हैं।

(v) परिवहन			
पत्तन और दीपस्तम्भ	3.00	3.00	3.00
नौवहन	54.40	53.30	56.30
नागर विमानन	27.50	35.50	37.50
सड़क और पुल	98.37	113.37	113.00
जोड़	183.27	205.17	209.80

"नौवहन" शीर्ष के अन्तर्गत जहाजों का पंजीकरण शुल्क और नौका सेवाओं की प्राप्ति आती है।

"सड़क और पुल" शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित प्राप्ति शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के उपयोग से संबंधित शुल्क और सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकारों एवं अन्य निकायों से विभागीय प्रभारों की वसूली शामिल है।

(vi) संचार			
'अन्य संचार सेवाएं'	13953.44	13174.29	33335.33

"अन्य संचार सेवाओं" के अंतर्गत प्राप्तिओं का संबंध मुख्य रूप से दूरसंचार संचालकों (आपरेटरों) से लाइसेंस शुल्क तथा वर्णक्रम उपयोग के प्रभारों की प्राप्तिओं से हैं।

दूर संचार विभाग उसके द्वारा लाइसेंसशुदा विभिन्न टेलीकॉम आपरेटरों से आवर्ती लाइसेंस शुल्क जमा करता है। यह नए आपरेटरों से एकबारगी प्रविष्टि शुल्क संग्रहित करता है। मुख्य सेवा श्रेणियों में शामिल हैं- सेलुलर मोबाइल सर्विस, बेसिक सर्विस, यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, वीसैट सर्विस, इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉग डिस्टेंस सर्विस, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट टेलीफोनी सहित एंड पब्लिक रेडियो ट्रंक सर्विसेज।

कुछ सेवाओं को छोड़कर, लाइसेंस शुल्क का संग्रहण समय-समय पर निर्दिष्ट आपरेटर्स समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर आधारित प्रतिशत भाग के रूप में किया जाता है और उसमें सार्वभौम अभिगम उद्ग्रहण संघटक शामिल है। इसके फलस्वरूप एजीआर टैरिफ, उपभोक्ता आधार, प्रतिस्पर्धा आदि जैसे कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण देश में लाइसेंस शुल्क की दरों, टैरिफ और दूर संचार सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करता है।

दूर संचार विभाग लाइसेंस प्राप्त सर्किल में दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन के लिए उन्हें आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए रॉयल्टी के सदृश स्पेक्ट्रम प्रभार के साथ-साथ उन सेवा प्रदाताओं, जिनके पास दूरसंचार सेवा लाइसेंस होते हैं, से वायरलेस उपस्कर रखने हेतु लाइसेंस शुल्क संग्रहित करता है। ये प्रभार सीएमटीएस, यूएसएसएल और वाणिज्यिक वी-सैट सेवा प्रदाताओं से उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में, जोकि उनके नेटवर्कों के लिए निर्धारित स्पेक्ट्रम की प्रमात्रा पर निर्भर करता है, लिए जाते हैं। अन्य प्रदाताओं से ये प्रभार एक समान दरों पर अथवा नियम के आधार पर लिए जाते हैं।

	बजट	संशोधित	(करोड़ रुपए) बजट
	2008-2009	2008-09	2009-10
(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	35.02	36.05	36.60
अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	272.23	1109.53	972.51
जोड़	307.25	1145.58	1009.11

"परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अन्तर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विभिन्न प्रभागों / यूनिटों द्वारा की गई बिक्रियों और सेवाओं से हुई प्राप्तिओं से संबंधित हैं।

"अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान" प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमेटिक मानचित्रण संगठन आदि से संबंधित हैं।

(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं:

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	255.00	261.80	262.50
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2278.67	1764.92	1833.31
पर्यटन	1.25	2.50	2.50
नागरिक आपूर्ति	0.02	0.01	0.01
जोड़	2534.94	2029.23	2098.32

"विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन" शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तिओं में व्यापार और अदायगी करारों के अंतर्गत बकायों के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन संबंधी प्राप्तियां शामिल हैं।

"अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष में मुख्यतः संयुक्त पूंजी कम्पनियों के विनियमन से होने वाली प्राप्तियां और बीमा अधिनियम के अंतर्गत फीस की वसूली की प्राप्तिओं को दिखाया गया है। इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की प्राप्तियां और गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा वसूल किए गए शुल्कों तथा जोखिम बीमा निधि की प्राप्तिओं को भी शामिल किया गया है।

5. सहायता-अनुदान और अंशदान

ये अनुमान विदेशी स्रोतों से नकदी और वस्तुओं के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता से संबंधित हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(i) विदेशी अनुदान सहायता	1755.31	2745.52	2134.20
(ii) सहायता सामग्री और उपस्कर	40.02	2.49	2.00
जोड़	1795.33	2748.01	2136.20

अतिरिक्त ब्यौरे अनुबंध 2 की विवरणी 2 में दिए गए हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व

घ. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व:

अनुमान निम्न प्रकार हैं :-

संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) की प्राप्तियां	814.85	749.17	754.13
---	---------------	---------------	---------------

संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, खासतौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी तथा वन उत्पादों की बिक्री, चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त होने वाली प्राप्तिओं तथा नौवहन, पर्यटन और विद्युत से होने वाली प्राप्तिओं से सम्बन्धित हैं।

कर-भिन्न राजस्व का बकाया

एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्व के बकाया संबंधी प्रकटन विवरण अनुबंध 11 पर दिया गया है।